मो0 सोहैल, भा0 प्र0 से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 14.02.17 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम, वर्ष–2016–17 के अन्तर्गत धान/सी0एम0आर0 अधिप्राप्ति संबंधित जिला टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति पंजी के अनुसार :–

कार्यवाही

सर्व प्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी का स्वागत किया गया एवं धान अधिप्राप्ति के महत्व एवं संवेदनशीलता पर प्रकाश डालते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1 किसानों का रजिसट्रेशन

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि मधेपुरा जिला में दिनांक 13.02.16 तक कुल 11686 आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें स्वीकृत आवेदनों की संख्या 7796 है। अपूर्ण आवेदनों की संख्या अभी भी 3594 है। सभी प्रखंड सहकारिता पदा0 को निदेश दिया गया कि दिनांक 25.02.17 तक किसानों से आवेदन लिए जाए, तथा आवेदनों का निष्पादन शतप्रतिशत करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रखंड वार आवेदनों की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कुल आवेदन की तुलना में ग्वालपाड़ा, मधेपुरा तथा शंकरपुर में अपूर्ण आवेदनों का प्रतिशत अधिक है, जबकि इन सभी प्रखंडों में अधिप्राप्ति कार्यों के लिए कार्यपालक सहायक की नियुक्ति हो चुकी है। किसानों से प्राप्त आवेदनों की पूर्ण तरीके से भरवाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पछा जाए, तथा कार्यपालक सहायकों के कार्यों की समीक्षा, भी की जाए, तथा समीक्षा प्रतिवेदन से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया जाए।

2 धान अधिप्राप्ति की स्थिति

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि 152 पैक्सों के 2340 किसानों से कुल 13551.451 मीट्रिक टन धान की खरीददारी की गई है। निबंधित किसानों से मात्र 30% किसानों से ही खरीददारी की गई है जो कि खेदजनक स्थिति है।

निदेश दिया गया कि सभी इच्छुक एवं निबंधित किसानों से शतप्रतिशत धान की खरीददारी की जाए। साथ ही उन पैक्सों को भी चेतावनी दी जाए जिन्होंने किसानों से धान अधिप्राप्ति प्रारंभ नहीं किया है।

3 CMR प्राप्ति एवं भुगतान की स्थिति

धान की कुल अधिप्राप्ति (मात्रा–13551.454 मी0 टन) के विरूद्ध CMR प्राप्त किए जाने की मात्रा 9079.474 मी0 टन बनती है, जिसके विरूद्ध मात्र 2581.479 मी0 टन CMR की प्राप्ति हुई है। यह अत्यंत की खेदजनक स्थिति है। जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक (रा0 खाद्य निगम) मधेपुरा, CMR प्राप्ति में हूए विलंब के कारण के संबंध में पृच्छा की गई, पर वे इसे संतोषजनक तरीके से स्पष्ट नहीं कर सके।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, तथा जिला प्रबंधक (SFC) को निदेश दिया गया कि समन्वय स्थापित कर धान अधिप्राप्ति के अनुरूप CMR शतप्रतिशत मात्रा में उपलब्ध कराया जाए।

पैक्सों को किए जाने वाले भुगतान की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि CMR (मात्रा 2581.479 मी0 टन) प्राप्ति के अनुरूप मात्रा 1701.348 मी0 टन CMR समतुल्य राशि का भुगतान किया गया है। इस संबंधित जिला प्रबंधक से पृच्छा की गई पर वे CMR प्राप्ति के बाद भी पैक्सों को होने वाले भुगतान में हुए विलंब को स्पष्ट नहीं कर सके।

जिला प्रबंधक को निदेश दिया गया CMR प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर संबंधित पैक्सों को भुगतान कर दिया जाए।

CMR पूर्व अपेक्षित कागजातों की चेकलिष्ट जिला प्रबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराऐंगे, ताकि CMR प्राप्ति करने में कोई समस्या नहीं रहे।

जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पैक्सों के द्वारा की गई धान अधिप्राप्ति के अनुरूप अग्रिम CMR अविलंब संबंधित CMR गोदाम में जमा करने सुनिश्चित करें। धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को किए गए भुगतान के अनुरूप अग्रिम CMR प्राप्त नहीं होता है, तो सरकार को होने वाले राजस्व क्षति के लिए संबंधित प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सीधे दोषी माने जाऐगें, तथा उनके विरूद्ध अग्रेतर कारवाई की जाएगी।

4 **मिलों से टैगिंग**

जिला सहकारिता पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा चार पैक्सों को पूर्व से निर्धारित मिलों के स्थान पर अन्य मिलों के साथ संबद्ध (tag) करने का प्रस्ताव जिला टास्क फोर्स के समक्ष दिया गया।

प्रस्ताव 1. मंजौरा पैक्स प्रखंड उदाकिशुनगंज के द्वारा मन्नु राईस मिल बालमगढ़िया संबद्ध किया जाना।

जिला टास्क फोर्स में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। प्रस्तावित मिल की दूरी, संबंधित पैक्स से करीब 40 किलो मीटर से अधिक है, जिसकारण धान को मिल तक लिए जाने में हथालन तथा परिवहन का खर्च (handling and transportation cost) अधिक होगा। साथ ही प्रस्तावित मिल के नजदीक में CMR गोदाम गम्हरिया अथवा CMR गोदाम मुरलीगंज से दूरी 20 कि0 मी0 से अधिक है, जिस कारण हथालन एवं परिवहन खर्च और अधिक होगा, जो कि पैक्स के वित्तीय स्वास्थय, तथा सरकार को होने वाले राजस्व की क्षति को देखते हुए सही नहीं है। तद्नुसार, जिला टास्क फोर्स के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव 2. प्रखंड चौसा के पैक्स अरजपुर पश्चिमी को जय गुरू राईस मिल, बिहारीगंज के साथ संबद्ध करना।

जिला टास्क फोर्स के द्वारा विचारोपरांत ज्ञात हुआ कि प्रस्तावित मिल बिहारीगंज में है। इस पैक्स के नजदीक राईस मिल पुरैनी तथा बिहारीगंज में है। CMR गोदाम भी बिहारीगंज में अधिसूचित है। तद्नुसार इस प्रस्ताव को जिला टास्क फोर्स के द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव 3. प्रखंड गम्हरिया के पैक्स कौड़िहार तरावे को शिवशक्ति राईस मिल, प्रखंड सिंहेश्वर के साथ संबद्ध करना।

इस पैक्स से प्रस्तावित मिल की दूरी 10 कि0 मी0 से कम है, तथा CMR गोदाम, प्रखंड परिसर गम्हरिया में अवस्थित है। सम्यक विचारोपरांत, जिला टास्क फोर्स के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव 4. प्रखंड गम्हरिया के पैक्स ईटवा जीवछपुर को जय हनुमान राईस मिल, सुखासन, सिंहेश्वर के साथ संबद्ध करना।

इस पैक्स से प्रस्तावित मिल की दूरी 10 कि0 मी0 से कम है, तथा CMR गोदाम प्रखंड परिसर गम्हरिया में प्रस्तावित है, जो कि गम्हरिया प्रखंड में ही है। सम्यक विचारोपरांत, जिला टास्क फोर्स के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

5. राईस मिलों से प्राप्त आवेदन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा राईस मिलों से प्राप्त दो आवेदनों को प्रस्तुत किया गया।

(1) शिवशक्ति राईस मिल सिंहेश्वर का आवेदन

आवेदन में मिल मालिक के द्वारा इस राईस मिल को कुमारखंड, गम्हरिया, तथा मधेपुरा प्रखंड से टैग करने का अनुरोध किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस मिल को पूर्व से सिंहेश्वर तथा शंकरपुर प्रखंड के पैक्सों के साथ टैग किया गया है। सम्यक विचारोपरांत, इस राईस मिल को प्रखंड गम्हरिया, तथा प्रखंड कुमारखंड के पैक्सों के साथ धान प्राप्त कर मिलिंग हेतु टैग करने की अनुमति दी गई।

(2) जय बाबा बासुकीनाथ राईस मिल, मुरलीगंज का आवेदन

आवेदन में कुमारखंड प्रखंड के पैक्स रहटा तथा पैक्स सिहेपुर गढ़िया को जोड़ने का आवेदन दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व से ही कुमारखंड प्रखंड के पैक्सों से धान प्राप्त करने के लिए इस राईस मिल से टैग किया जा चुका है (पत्रांक 48/दिनांक 21.01.17) इसलिए इस आवेदन पर स्वच्छ विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

6. अधिप्राप्ति हेतु पैक्स चयन का प्रस्ताव

जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा प्रखंड आलमनगर के पैक्स नरथुआ भागीपुर को स्वतंत्र रूप से अधिप्राप्ति कार्य हेतु चयनित करने का प्रस्ताव दिया गया है (पत्र सं0– 138/सं0 स0/13.02.17)। प्रस्तावित पत्र में अंकित किया गया है कि नरथुआ भागीपुर पैक्स डिफॉलटर सूची से मुक्त है।

जिला टास्क फोर्स के द्वारा सम्यक विचारों परांत नरथुआ भागीपुर पैक्स को स्वतंत्र रूप से अपने पंचायत अंतगर्त निबंधित किसानों से धान अधिप्राप्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

7. धान/CMR का भौतिक सत्यापन

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि पूर्व में दिए गए निदेश के बाद भी किसी भी प्रखंड से पैक्सों/मिलों में रखे गए धान का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। इस संबंधित स्पष्टीकरण पूछने का निदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि प्रत्येक दिन धान का भौतिक सत्यापन किया जाए, तथा धान की मात्रा का फोटो को भी Whatsapp 'Procurement Offical' पर अपलोड किया जाए। इसमें बरती गई कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा। जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक को भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 10 पैक्सों/मिलों में रखे गए धान का भौतिक सत्यापन करें।

CMR गोदाम में प्राप्त किए गए चावल (CMR) की मात्रा तथा गुणवता की जाँच जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, (रा0 खा0 नि0) मधेपुरा नियमित से करेंगे, तथा प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराऐंगे।

8. मिलरों से पैक्सों के साथ एकरारनामा की स्थिति

समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभी तक 58 पैक्सों के द्वारा किसी भी मिल से धान की मिलिंग के लिए एकरारनामा नहीं किया गया है। यह अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे सभी पैक्स जिन्होंने धान अधिप्राप्ति की है, उनका शत–प्रतिशत एकरारनामा राईस मिलों से कराया जाए, ताकि CMR प्राप्ति की चक्रीय व्यवस्था प्रभावित नहीं हो।

वैसे सभी पैक्स जिनके द्वारा किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है अथवा धान अधिप्राप्ति में रूचि नहीं दिखाया जा रहा है, उनके विरूद्ध विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा अग्रेतर कारवाई की जाए।

14.2.17 — जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा।

14/02/17 — जिला सहकारिता पदा0, मधेपुरा।

14/02/17 — जिला आपूर्ति पदा0, मधेपुरा।

16/2/17 — जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

ज्ञापांकः 96 / दिनांकः 17.2.17.

प्रतिलिपिः— सभी अंचल अधिकारी मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।
16/2/17